रजिस्टर्ड नं० एल० 33/एस० एम० 14/92.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बुधवार, 22 जुलाई, 1992/31 आषाढ़, 1914

हिमाचल प्रदेश सरकार

कार्यालय जिला दण्डाधिकारी, कांगड़ा स्थित धर्मशाला

अधिसूचना

धर्मशाला, 10 जुलाई, 1992

पृष्ठांकन संख्या 8794-8875.—मैं, श्रीनिवास जोशी, जिला दण्डाधिकारी, कांगड़ा स्थित धर्मशाला एल० पी० जी० सिलिंडर मूल्य निर्धारण सम्बन्धी अधिसूचना संख्या 7292-7373 दिनांक 6-6-92 की निरन्तरता में तथा हिमाचल प्रदेश होर्डिंग एण्ड प्रॉफिटियरिंग प्रिवैन्शन आदेश, 1977 की धारा 3(1)(इ) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आदेश देता हूं कि यह अधिसूचना आगामी दो महीनों के लिए हिमाचल प्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित होने के पश्चात लागू रहेगी ।

श्रीनिवास जोशी,
जिला दण्डाधिकारी, कांगड़ा स्थित धर्मशाला ।

1864-राजपत्र/92-22-7-92—1,213. (2639) मूल्य : 1 रुपया ।

कार्यालय उपायुक्त, जिला किन्नौर, स्थित रिकांग पिओ

कारण बताओ नोटिस

रिकांग पिओ, 23 जून, 1992

संख्या कनर-502/79-520-522.—क्योंकि उप-सम्भागीय अधिकारी (ना0) विकास खण्ड निचार की रिपोर्ट दिनांक 31 अगस्त, 1990 के अन्तर्गत श्री गोविन्द सिंह नेगी, प्रधान, ग्राम पंचायत पोंण्डा ने मु0 20,000/- रुपये सहकारी बैंक निचार से पंचायत स्टाल निर्माण भावानगर हेतु निकाल कर उक्त राशि को अपने रिश्तेदार श्री बहादुर सिंह, ग्राम कंगोश वाले को पेशगी दिखा कर उक्त राशि का दुरुपयोग किया है क्योंकि पंचायत स्टाल का कार्य 9/89 तक पूर्ण हो जाना चाहिए था पर वह अब तक अपूर्ण है।

क्योंकि मु0 20,000/- रुपये दिनांक 20-12-88 से पेशगी दिखा कर ग्राम पंचायत को उक्त राशि पर मिलने वाले ब्याज की राशि से वंचित रखा साथ ही पंचायत स्टाल समय पर तैयार न किए जाने के कारण जो किराए के रूप में एक वर्ष से भी अधिक समय अवधि में आय होनी थी उससे पंचायत को वंचित रखा है ;

पंचायत स्टाल का कार्य समय पर न किए जाने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा ऋण की किश्त जो 31-3-90 को मु0 2700/- रुपये देय थी को भी कोष में जमा नहीं किया गया।

उपरोक्त से सिद्ध होता है कि श्री गोविन्द सिंह नेगी, प्रधान, ग्राम पंचायत, पोंण्डा, विकास खण्ड निचार ने मु0 20,000/- रुपये पेशगी दिखा कर इस राशि का दुरुपयोग किया है तथा समय-समय पर उप-सम्भागीय अधिकारी, विकास खण्ड निचार तथा जिला पंचायत अधिकारी, किन्नौर द्वारा कार्य समय पर पूर्ण करने तथा राशि ब्याज सहित बैंक में जमा करने के लिए दिए गए निर्देशों की पालना नहीं की।

चूंकि श्री गोविन्द सिंह नेगी, प्रधान, ग्राम पंचायत, पोंण्डा को इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 17-9-90 व 4-4-91 द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी कर समसंख्यक आदेश दिनांक 6-8-91 द्वारा निलम्बित किया गया था तथा चूंकि श्री गोविन्द सिंह नेगी पुनः ग्राम पंचायत, पोंण्डा के प्रधान निर्वाचित हुए हैं तथा अभी तक सरकार द्वारा उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों की जांच नहीं हुई है तथा उनके विरुद्ध पिछली अनियमितताओं/आरोपों के कारण हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा 57 के अनुसार कार्यवाही जारी रखी जानी है।

अतः मैं, दीपक सानन, उपायुक्त, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 57 के अन्तर्गत जिसे धारा 54 व पंचायत निर्वाचावली, 1971 के नियम 77 के साथ पढ़ा जावे कारण बताओ नोटिस जारी करता हूं कि क्यों न श्री गोविन्द सिंह नेगी पुनः निर्वाचित प्रधान, ग्राम पंचायत पोंण्डा को उनके बतौर प्रधान, ग्राम पंचायत, पोंण्डा के गत कार्यकाल की अवधि में पंचायत धन राशि का दुरुपयोग/अनियमितताएं करने हेतु पुनः निलम्बित कर दुरुपयोग का मामला दर्ज किया जावे। उनका उत्तर इस नोटिस की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर-भीतर उप-मण्डल अधिकारी (ना0), निचार के माध्यम से इस कार्यालय में पहुंच जाना चाहिए। निर्धारित अवधि में उत्तर न पहुचने पर एकतरफा कार्यवाही की जा सकती है।

दीपक सानन,
उपायुक्त,
जिला किन्नौर।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित।